भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

वार्षिक योजना 2013-14 के लिए प्रस्ताव

प्रस्तावना

जब से मानव सभ्यता शुरु हुई है तभी से कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी गतिविधियां मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रही हैं। इन गतिविधियों में न केवल खाद्यान्न और भारवाही पशु शक्ति ने अपने योगदान को बनाए रखा है बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन भी बनाए रखा है। अनुकूल जलवायु तथा स्थालाकृति के कारण पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी ने भारत में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक भूमिका निभाई है। पारंपरिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विश्वासों ने भी इन गतिविधियों को बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। ये गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के बीच लाभप्रद रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा लाखों लोगों को सस्ता और पोषक भोजन उपलब्ध कराते हैं।

प्राचीन काल की प्रणालियों के अनुसरण में तथा पशुधन पर लोगों की निर्भरता के कारण भारत विश्व में सबसे बड़ा पशुधन संख्या वाला देश है। इसके पास विश्व के 56.8 प्रतिशत भैंसे तथा 14.5 प्रतिशत गोपशु हैं। देश में लगभग 71.6 मिलियन भेड़े तथा 140.5 मिलियन बकरियां तथा लगभग 11.1 मिलियन सूअर हैं। पशुधन की संख्या भारत में अब भी तेजी से बढ़ रही है। देश की 8000 किलोमीटर से अधिक की तट रेखा है तथा विशाल अंतर्देशीय जल संसाधनों के कारण भारत में मात्स्यिकी की भी अपार संभावनाएं हैं।

पशुधन उत्पादन और कृषि एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा दोनों ही समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि के कुल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अधिकांश किसानों के लिए जीविका की एक महत्वपूर्णं गतिविधि है, महत्वपूर्ण आदानों के रूप में यह कृषि को समर्थन देता है, घरों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए अपना

योगदान देता है, आय की प्रतिपूर्ति करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है और जरूरत पड़ने पर यह पूरक और अनुपूरक उद्यम के रूप में भी काम करता है।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) के अनुमान के अनुसार, पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों का इकट्ठे उत्पादन की कीमत 2010-11 के दौरान चालू मूल्यों पर लगभग 4,61,434 करोड़ रुपए था जो कृषि तथा सहायक क्षेत्रों से 16,23,968 करोड़ रुपए के उत्पादन की कीमत का कुल मिलाकर लगभग 28.4 प्रतिशत है। चालू मूल्यों पर पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र को मिलाकर जीडीपी का अनुमान 2010-11 के दौरान 3,22,894 करोड़ रुपए था जो 10,62,004 करोड़ रुपए की जीडीपी का लगभग 30.40 प्रतिशत है।

इस तथ्य के बावजूद कि देश में बहुत कम पशुधन उद्यम वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते हैं, पशुधन क्षेत्र निर्यात में भी योगदान देता है। वर्ष 2010-11 में पशुधन, कुक्कुट और संबंधित उत्पादों से कुल निर्यात अर्जन 25,408.86 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष अर्थात् 2009-10 में यह राशि 19,036.44 करोड़ रुपए थी।

पशुपालन क्षेत्र स्वरोजगार के काफी अधिक अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षण (एन एस एस का 66वां दौर; जुलाई, 2009 – जून, 2010) के अनुसार, सामान्य स्थिति में पशुपालन के कार्य में लगे कामगारों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 13.6 मिलियन और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मिलाकर 14.9 मिलियन है। पशुपासलन और मत्स्यपालन के कार्य में लगे कामगारों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 14.9 मिलियन और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मिलाकर 16.5 मिलियन है।

11वीं योजना के लिए दृष्टिकोण

पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं योजना के दृष्टिकोण का उद्देश्य समूचे क्षेत्र के लिए 6 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समग्र वृद्धि दर हासिल करना है जिसमें दुग्ध समूह के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर और मांस तथा कुक्कुट क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर हासिल करना है।

11वीं योजना क दौरान वित्तीय उपलब्धियां

11वीं योजना के लिए इस विभाग को 8174 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। वर्षवार वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

11वीं योजना के दौरान वर्षवार ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं. अ. के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग	ब. अ. के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग
1	2	3	4	5	6
11वीं योजना (2007-2012)	**8174.00**				
2007-08	910.00	810.00	784.09	96.80	86.16
2008-09	1000.00	940.00	865.27	92.05	86.53
2009-10	1100.00	930.00	873.38	93.91	79.40
2010-11	1300.00	1257.00	1104.68	87.88	84.98
2011-12	1600.00	1356.52	1243.11	91.64	77.70
कुल	**5910.00**	**5293.52**	**4870.53**	**92.0182.41**	

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीतियां और दृष्टिकोण

पशुधन क्षेत्र, जिसमें ग्यारहवीं योजना में लगभग 4.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, में बारहवीं योजना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है। देश में प्रोटीन खाद्य की बढ़ी हुई मांग मुख्य रूप से इस वृद्धि के कारण है, जो इसलिए और भी अधिक इन्क्लूसिव है क्योंकि छोटी जोत वाले किसान और भूमिहीन किसान का पशुधन के स्वामित्व में अधिक हिस्सा है। इसी प्रकार, मात्स्यिकी उप-क्षेत्र, जिसमें हाल में लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई है, बारहवीं योजना के दौरान 6 प्रतिशत वार्षिक से अधिक दर पर विकास कर सकता है।

पशुधन क्षेत्र के समक्ष रोगों पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण, आहार और चारे की कमी, विविध आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण करते समय नस्ल सुधार और प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार, दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को अच्छी किस्म की सेवाएं प्रदान करने जैसी ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के सहयोग से इन चुनौतियों से निपटने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं को पुनः डिजाइन करना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर इस क्षेत्र के लिए पहलकदमियां तैयार और क्रियान्वित करने के लिए एक साकल्यवादी और विकेन्द्रीकृत संकल्पना के माध्यम से ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में निजी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश बढ़ाने के लिए आरकेवीवाई में प्रेरित राज्य हैं। पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना का रि-ओरियेंटेशन करके राज्यों को ऐसा ही लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है।

इस समग्र संकल्पना को ध्यान मे रखते हुए, बारहवीं योजना के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को निम्नलिखित तरीके से पुनः संगठित करने का प्रस्ताव है:-

I. पशुधन क्षेत्र का तेजी से विकास करने के उद्देश्य से, किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्रदान करके सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ बाहरवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) आरंभ करने का प्रस्ताव है। आहार और चारे की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए आहार और चारे की उपलबधता में वृद्धि करने के लिए पहलकदमियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक महत्वपूर्ण घटक होगा। प्रस्तावित मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों की कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुसार कुक्कुट, सूअर और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के विकास से संबंधित पहलकदमियों को भी सहायता देगा।

II. पशु रोगों, जिनसे पशुधन की उतपादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने एफ.एम.डी., पी.पी.आर. और ब्रुसेलोसिस जैसे प्रमुख रोगों के लिए राष्ट्रीय

नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। अब 221 जिलों में एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और 12वीं योजना के दौरान चरणबद्ध रूप से सभी जिले कवर किए जाएंगे।

III. आनुवंशिक सुधार द्वारा दुग्ध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बाहरवीं योजना के अंत तक प्रजनन योग्य बोवाइन पशुओं की लगभग 25 प्रतिशत की कवरेज के मौजूदा स्तर पर 50 प्रतिशत करने के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है। गुणसम्पन्न देशी नस्लों का संरक्षण करने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

IV. सहकारी क्षेत्र ने डेयरी उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त योगदान दिया है। प्रजनन और आहार के उन्नत प्रबंधन के जरिए दुग्ध उत्पादकों/किसानों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करने के डेयरी सहकारिताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 2011-12 से राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) आरंभ की है जो बारहवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाएगी।

V. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एनएफडीबी), जो मात्स्यिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास में तेजी लाने के लिए वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था, मछली के रोगों के प्रबंधन और संबंधित अवसंरचना के सृजन पर ध्यान संकेन्द्रित करने के साथ, मात्स्यिकी के विकास से संबंधित लगभग सभी योजनाओं को इसके दायरे में लाकर इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2013-14 में योजनाएं/कार्यक्रम

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं की पुनर्संरचना के पश्चात् वार्षिक योजना (2013-14) में कुल 19 योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। इनमें से एक सचिवालय और आर्थिक सेवा, 9 पशुपालन (2 नई योजनाओं सहित), 4 डेयरी विकास, 4 मात्स्यिकी क्षेत्र और केरल के लिए इडुक्की तथा कुतानाद पैकेज से संबंधित हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत वार्षिक योजना 2013-14 के लिए प्रस्तावित परिव्यय का सार नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	वार्षिक योजना (2013-14)		
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय प्रायोजित	कुल
पशुपालन	360.09	991.20	**1351.29**
डेयरी विकास	885.00	290.00	**1175.00**
मात्स्यिकी	386.71	70.00	**456.71**
सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं	7.00		**7.00**
केरल में इडुक्की जिले के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज		35.00	**35.00**
कुल	1638.80	1386.20	**3025.00**

योजनाएं/कार्यक्रम

वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का संक्षिप्त सार परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) और विशेष घटक योजना (एससीपी)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुधन, डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारों के मूलभूत ढांचों के सुदृढ़ीकरण को लक्ष्य करके कई केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इनमें से मछुआरा कल्याण कार्यक्रम को छोड़कर कोई भी योजना प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी-उन्मुख नहीं है। तथापि, एससीपी के मामले में विभाग ने अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए धनराशि निर्धारित करने की योजनाओं का पता लगाया है। टीएसपी के मामले में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए टीएसपी के लिए धनराशि को अलग से आबंटित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना निधियों की लगभग 8 प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रयास करेगा। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए विभाग द्वारा जारी धनराशि को आबंटित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

परिशिष्ट-1

वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त सार

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी कार्यक्रम (एनपीबीबीडी)

बोवाइन में महत्वपूर्ण देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ आनुवंशिक उन्नयन उत्पादकता में सुधार करने की कुंजी है। 12वीं योजना के दौरान, प्रजनन और डेयरी के संबंध में सम्मिलित कार्यकलाप कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के विस्तार, आहार प्रबंधन, अच्छी किस्म के दूध के उत्पादन और विपणन के लिए डेयरी सहकारिताएं संगठित करने, किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने में अधिक प्रभावकारी होंगे। एनपीबीबीडी योजना के दो घटक हैं, नामतः राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और डेयरी विकास, जिसमें वर्तमान तीन योजना घटक हैं अर्थात् सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी), गुणसम्पन्न और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन (एस आई क्यू एंड सी एम पी) और सहकारिताओं को सहायता।

क. डेयरी विकास कार्यक्रम(डी डी पी) के उद्देश्य

1) लागत प्रभावी तरीके से अच्छी किस्म के दूध के उत्पादन के लिए अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण।
2) डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास करना और तकनीकी आदान सेवाएं मुहैया करना, दूध के उतपादन, खरीद और विपणन अवसंरचना में संगठित क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि करने के लिए गांव स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों/उत्पादक कंपनियों की स्थापना करना।
3) संभाव्य रूप से व्यवहार्य दुग्ध परिसंघों/यूनियनों के पुनर्स्थापन में सहायता देना।

राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम के अधीन आने वाले सभी कार्यकलाप 100 प्रतिशत सहायता अनुदान आधार पर होंगे। बल्क दुग्ध कूलरों, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण

संयंत्रों और दुग्ध पाउडर संयंत्रों, जहां वित्तपोषण की पद्धति निम्नानुसार होगी, की स्थापना जैसे कार्यकलापों को छोड़कर डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी विकास कार्यकलाप 100 प्रतिशत सहायता अनुदान आधार पर होंगे:

एनडीपी राज्यों में परिसंघों/यूनियनों के लिए सहायता का पैटर्न 50 प्रतिशत होगा। गैर-एनडीपी राज्यों के लिए, वित्तीय संस्थानों से ऋण घटक के साथ पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के निवल संचित लाभ के साथ दुग्ध परिसंधों/यूनियनों के लिए 50 प्रतिशत सहायता होगा। उन मामलों में, जहां प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद या चल रही परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया जा सका है, 75 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य दुग्ध यूनियनों/परिसंघों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों (समुद्र तट से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों) के लिए केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत होगी और शेष भाग संबंधित राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 'सहकारिताओं को सहायता' के अधीन वचनबद्ध देयता को पूरा करना जारी रखने का प्रस्ताव है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन नई परियोजनाओं के लिए सहायता पर विचार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की सीमा तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं के आधार पर होगा ताकि केन्द्रीय सहायता के साथ संबंधित दुग्ध यूनियन/परिसंध को व्यवहार्य बनाया जा सके क्योंकि अनुदान 50 प्रतिशत तक सीमित है। शेष हिस्सा राज्य सरकार/वित्तीय संस्था/एनडीडीबी आदि द्वारा वहन किया जाएगा। दुग्ध परिसंघों/यूनियनों का पुनर्वास 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर होगा लेकिन प्रति रुग्ण यूनियन/परिसंघ सहायता अनुदान अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगा। इस योजना को 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के दौरान इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इस योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।

कुल लाभभोगी एजेंसियों की कम से कम 10 प्रतिशत एजेंसियां महिला डेयरी सहकारी समितियों के साथ डीडीपी के अंतर्गत महिला लाभभोगियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और नई परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए

प्रस्तावित कुल किसान सदस्यों के कम से कम 30 प्रतिशत सदस्य महिला दुग्ध उत्पादक सदस्य होंगी।

ख. बोवाइन प्रजनन

देश में 304 मिलियन गोपशु और भैंसें हैं। उनकी औसत कम उत्पादकता चिंता का विषय है। इस तथ्य से कि लगभग 80 प्रतिशत गोपशु और 60 प्रतिशत भैंसें किसी निश्चित नस्ल से संबंधित नहीं हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनके आनुवंशिक उन्नयन का एक मजबूत मामला बनता है। राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के अधीन गोपशु और भैंस प्रजनन के लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के बावजूद कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज के अधीन प्रजनन योग्य बोवाइन का अनुपात केवल लगभग 25 प्रतिशत है। गोपशु और भैंसों के आनुवंशिक उन्नयन; नस्लों के संरक्षण; प्रजनन आदान के उत्पादन और वितरण, सामान और सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण; मानव संसाधन विकास और संस्थागत तथा नीति फ्रेमवर्क आदि के लिए चल रहे कार्यों के लिए अपर्याप्तता की विभाग द्वारा समीक्षा की गई थी। ये ‘राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम’ (एनपीबीबीडी) के एक व्यापक कार्यक्रम को तैयार करने में चरम सीमा पर थे जिसमें चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के विलय और पुनर्संरचना की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम में कार्यान्वयन एजेंसियों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान देने की परिकल्पना की गई है और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं – (क) किसानों के द्वार पर अच्छी किस्म की कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना, (ख) उच्च आनुवंशिक गुणों के जननद्रव्य का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान के जरिए संगठित प्रजनन के अधीन सभी प्रजनन योग्य मादाओं को लाना, (ग) अधिक सामाजिक-आर्थिक महत्व की चुनिन्दा बोवाइन नस्लों का संरक्षण, विकास और प्रजनन, (घ) महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्र में अच्छी किस्म के प्रजनन आदान मुहैया करना ताकि नस्लों की विकृति और उनके समाप्त होने को रोका जा सके।

मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से पुन: तैयार किए गए कार्यक्रम के घटकों में अब (क) औद्योगिक गैस विनिर्माताओं से द्रव नाइट्रोजन के भंडारण और आपूर्ति को सरल और कारगर बनाने और इसके लिए बल्क ढुलाई और भंडारण प्रणालियों की स्थापना करने, (ख) अधिक आनुवंशिक गुणों के साथ अच्छी किस्म के सांड लाने, (ग) कृत्रिम गर्भाधान की द्वार पर सेवा डिलीवर करने के लिए प्राइवेट मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा को बढ़ावा देना, (घ) मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के लिए मौजूदा

केन्द्रों को सुदृढ़ करने, (ड.) कृत्रिम गर्भाधान की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान सेवाओं के लिए अधिक आनुवंशिक गुणों वाले प्रजनक सांडों की आपूर्ति करने, और (च) प्रजनक सोसाइटियों की स्थापना करने पर विशेष ध्यान के साथ उपेक्षित प्राकृतिक मेटिंग प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और (छ) प्रजनक समितियों की स्थापना।

इस कार्यक्रम के अंत तक, जो 13वीं योजना में आगे ले जाया जाएगा, इसके अंतर्गत कुल वयस्क मादा गोपशु और भैंसों की 50 प्रितशत मादा गोपशुओं और भैंसों को लाया जाएगा जो मौजूदा कवरेज से दो गुणा से भी अधिक कवरेज है। इस कार्यक्रम में लगभग 30,000 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान करने वाले प्रेक्टीशनरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अधीन 5,000 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां देने का प्रस्ताव है। एनएमपीएस/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन प्रतिभागी राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे 25,000 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना के लिए इस योजना के अधीन सहायता लें। इन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रतिस्पर्धी शर्तों और निबंधनों पर तैयार की जाने वाली सूची से सक्षम सेवा प्रदाता के जरिए की जाएगी। इस योजना के अधीन प्रस्तावित लक्ष्य एनडीपी-1 के साथ प्राप्त किए जाएंगे।

इस कार्यक्रम में 100 मिलियन खुराकों की वार्षिक हिमित वीर्य उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम से भारत में ए. आई. नेटवर्क का पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें देश में गोपशु और भैंसों मे आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करने के लिए निरन्तर विशेष कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए प्रजनक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

एनपीबीबी भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त लाभों को समेकित करेगा और प्रजनन को एक आर्थिक गतिविधि मे रूपान्तरित करने के लिए नीति-कार्यनीति-कार्यक्रम फ्रेमवर्क स्थापित करेगा और निम्नलिखित की सहायता/समर्थन करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा:

I. प्रजनन प्रचालनों और प्रजनन कार्यक्रमों के संबंध में एक डायनामिक डाटाबेस
II. फील्ड और सम्बद्ध झुंड (फार्म/गोशाला) पर प्रजनन विशिष्ट कार्यक्रम

III. एक विश्वसनीय गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र
IV. गोपशु और भैंस के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनिष्पादन रिकार्डिंग नेटवर्क
V. सक्रिय और आत्मनिर्भर प्रजनक संगठनों की श्रृंखला
VI. संकटापन्न देशी नस्लों की निगरानी-सूची
VII. वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम चलाने वाले गैर-सरकारी संगठन
VIII. कार्मिकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता

वार्षिक योजना 2013-14 के लिए राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी कार्यक्रम (एनपीपीबीडी) के अधीन 290 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

2. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस योजना के घटक इस प्रकार हैं:-

क) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (75:25);
ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (100 प्रतिशत);
ग) व्यावसायिक दक्षता का विकास (राज्यों को 50:50 तथा वीसीआई को 100 प्रतिशत);
घ) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत);
ङ) राष्ट्रीय पशुरोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएआरडीएस);
च) राष्ट्रीय पेस्टिस डेस पेटिटिस रूमिनेंट्स (पीपीआर) ;
छ) पशुचिकित्सा अस्पतालों/दवाखानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण;
ज) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम।
झ) क्लासीकल स्वाइन बुखार नियंत्रण कार्यक्रम (नया घटक)

क) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को टीकाकरण, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैविक उत्पादन यूनिटों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा राज्य रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, कार्यशालाओं/सेमिनारों के आयोजन तथा पशुचिकित्सकों और अर्द्ध पशुचिकित्सकों को सेवाकलीन प्रशिक्षण दे करके सहायता प्रदान की जाती है। राज्य उपचार के लिए अपनी

इच्छानुसार रोगों का चयन कर सकते हैं।

टीकाकरण (टीकों की लागत, टीकाकरण की लागत और कोल्ड चेन), जैवकीय उत्पादन यूनिट/रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को मजबूत/आधुनिक बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनारों, सूचना और संचार अभियान और सामुदायिक भागीदारी, आपातिक और अन्य स्थानिक रोगों पर निगरानी, मानीटरिंग और पुर्वानुमान तथा नियंत्रण के लिए धनराशि जारी की जाएगी। इसमें एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप के परिणामस्वरूप मुआवजे का भुगतान भी शामिल होगा जो केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 प्रतिशत के आधार पर बांटा जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनारों और आपातिक तथा अन्य स्थानिक रोगों के नियंत्रण पर संपूर्ण लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 बंटवारे के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है; तथापि प्रशिक्षण और सेमिनार/कार्यशाला के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। 12वीं योजना के दौरान, प्रस्ताव है कि पूर्वोत्तर राज्यों में यह योजना 90:10 के अनुपात के आधार पर क्रियान्वित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना अवधि के दौरान इस घटक में निम्नलिखित नए कार्यकलाप शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है और उचित अनुमोदन के बाद इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा:

- विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत कार्य योजना/नीति के अनुसार परजीवी नियंत्रण।
- 10.00 करोड़ रुपए की दर पर राज्य जैवकीय उत्पादन यूनिटों का जी एम पी मानकों तक उन्नयन।
- राज्य रोग नैदानिकी प्रयोगशालाओं का जी एल पी मानकों तक उन्नयन।
- रैबीज के प्रति कुत्तों का निवारक टीका – विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर विकसित की जाने वाली कार्य योजना और नीति के अनुसार, तीन मास से अधिक की आयु वाले पशुओं को वर्ष में एक बार टीका लगाया जाए।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। **प्रस्तावित नए कार्यकलापों सहित इस पर 2013-14 के लिए 110.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

ख) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन पी आर ई)

आरंभ में इस योजना का उद्देश्य आफिस इंटरनेशनल डेस इपिजुटीज (ओआईई), पेरिस निर्धारित तरीके से पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना, पशुप्लेग और संक्रामक बोवाइन प्लेरो – निमोनिया (सीबीपीपी) का उन्मूलन करना और पशुप्लेग संक्रमण तथा सीबीपीपी से मुक्त करना था। देश को ओआईई द्वारा पशुप्लेग और सीबीपीपी से क्रमशः मई, 2006 और मई, 2007 में मुक्त घोषित किया गया था। यह परियोजना अभी भी इसी नाम से जारी है क्योंकि देश को इन रोगों से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन रोगों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। इस परियोजना को 12वीं योजना अवधि में जारी रखने का प्रस्ताव है ताकि सिंड्रोमिक रोगों के लिए देशभर में ग्राम, स्टाक रूट और संस्थागत खोजों के जरिए वास्तव में निगरानी रखी जा सके। अब यह भी प्रस्ताव है कि 12वीं योजना अवधि में इस परियोजना के एक भाग के रूप में रोग निगरानी और जानपदिक विज्ञान केन्द्र के रूप में एक समर्पित केन्द्र हो जो इस योजना का एक भाग हो। इस घटक का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम)' रखने का प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के वर्ष 2013-14 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। **2013-14 के लिए 5.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

ग) व्यावसायिक दक्षता का विकास (पीईडी)

इस योजना का उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करना तथा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (IV अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों का रजिस्टर रखना है। इस योजना में केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद तथा उन राज्यों में राज्य पशुचिकित्सा परिषद स्थापित करने की व्यवस्था है जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 अपना लिया है। इस समय यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद तथा संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत और राज्यों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पशुचिकित्सा व्यावसायियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद/राज्य पशुचिकित्सा परिषद द्वारा प्रशिक्षण के रूप में निरन्तर पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) भी दी जा रही है।

प्रस्ताव है कि 12वीं योजना के वर्ष 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखा जाए। **2013-14 के लिए 5.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में खुरपका और मुंहपका रोग एक प्रमुख रोग है। यद्यपि, इस रोग में अस्वस्थता दर उच्च है, पर मृत्यु दर कम है। इस रोग के कारण आर्थिक हानि मुख्यत: दुग्ध उत्पादन में कमी, पशु की कार्य क्षमता में कमी और शारीरिक वजन में कमी के कारण मीट की मात्रा में कमी के रूप में होती है। इसके अलावा, इस रोग से मुक्त देशों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों, मीट व चमड़े को लेने से इंकार करने से हमारे देश के पशुधन उद्योग की निर्यात क्षमता में गिरावट आती है।

खुरपका और मुंहपका रोग के कारण आर्थिक क्षति को रोकने और पैर फटे पशुओं में रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने के लिए देश के 221 विनिर्दिष्ट जिलों में टीके की लागत, टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन के रखरखाव तथा संभार तंत्रीय समर्थन के रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ 'खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम' नामक एक स्थान विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारें अन्य बुनियादी सुविधाएं तथा मानव शक्ति उपलब्ध करा रही हैं। इस समय, देश में इस कार्यक्रम में दक्षिणी प्रायद्वीप (केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश), महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के 221 जिले और उत्तर प्रदेश के 16 जिले (जो अब लगभग 20 जिलों में विभाजित हैं) शामिल हैं। इन जिलों में लगभग 110 मिलियन गोपशु और भैंसों को वर्ष में दो बार टीका लगाने की आशा है।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्रियान्वयन के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में इस रोग की घटनाओं में कमी के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम देखे गए हैं। अत: 12वीं योजना के वर्ष 2013-14 के दौरान 221 जिलों में गोपशुओं और भैंसों को टीका लगाने के वर्तमान कार्यकलाप जारी रहेंगे और अब बड़े, अबाध और संक्रमण वाले क्षेत्रों में एफ एम डी नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है ताकि 12वीं योजना अवधि के दौरान अन्तत: समूचे देश को कवर किया जा सके। 2013-14 के दौरान ही, क्रियान्वयन के लिए

आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् एफ एम डी – सी पी की कवरेज को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शेष जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए अपेक्षित टीके केन्द्र द्वारा आउटसोर्स आधार पर खरीदे जाएंगे ताकि लक्षित जिलों में समय पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

प्रस्तावित विस्तार सहित इसके लिए 2013-14 के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

ड.) राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण प्रणाली (एन ए डी आर एस)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ‘पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी) के एक घटक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। एन ए डी आर एस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में पशुधन रोग की स्थिति को रिकार्ड और मॉनीटर करना है ताकि समय पर तेजी से निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सके। एन ए डी आर एस में एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जो देश में प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालयों को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोग सूचना और मानीटरिंग यूनिट (सी डी एम आर यू) से सम्बद्ध करता है। एन ए डी आर एस में एक वैब आधारित प्रणाली है जो ब्लॉक स्तरीय पशुचिकित्सा यूनिटों (बीवीयू) से प्राप्त पशु रोगों के होने के डाटा सूचित करेगा।

7032 परियोजना स्थलों में एन ए डी आर एस का कार्यान्वयन अग्रिम अवस्था में है। 6828 परियोजना स्थलों में हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया है और 5779 स्थानों पर इंटरनेट (ब्रॉडबैंड पर वरच्युअल प्राइवेट नेटवर्क) कनेक्शंस स्थापित किए गए हैं।

इस स्कीम को 16.69 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2013-14 में जारी रखने का प्रस्ताव है।

च) राष्ट्रीय पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम

छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के पेस्ट डेस पेटिटिस (पीपीआर) एक वायरल रोग है, जिसमें उच्च ज्वर, गेस्ट्रो-इन्टेस्टिनल ट्रैक्ट में सूजन, प्रदाह के परिणामस्वरूप

उत्तकक्षय और म्यूकस की झिल्ली पर घाव और हैजा के लक्षण देखे जाते हैं। पीपीआर संक्रमण से भेड़ और बकरी में रोग और मृत्यु, दोनों ही होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

विभाग ने पशुप्लेग उन्मूलन की तर्ज पर इस रोग को देश में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से 11वीं योजना के दौरान एक नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में सभी अति संवेदनशील बकरियों और भेड़ों और उनकी तीन भावी पीढियों (लगभग 30 प्रतिशत) को टीकाकृत करने का कार्यक्रम है। प्रथम चरण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पुडुचेरी को शामिल किया गया है।

मौजूदा राज्यों सहित अन्य शेष राज्यों को 12वीं योजना के दौरान कवर किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन दे दिया जाए ताकि 12वीं योजना के अंत तक इस रोग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया जाए। इस घटक का नाम बदल कर 12वीं योजना के लिए ई एफ सी के नोट के अधीन 'राष्ट्रीय पेस्टे डेस पेटिटिस रुमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर – सी पी)' रखने का भी प्रस्ताव है।

प्रस्तावित विस्तार सहित, 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। **2013-14 के लिए 48.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

छ) पशुचिकित्सा अस्पतालों/दवाखानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

विभिन्न राज्यों में पशुचिकित्सा अवसंरचना खराब होने के कारण पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं से ईष्टतम लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। वर्तमान स्थिति में देश में नए पशुचिकित्सा अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना करने तथा मौजूदा अस्पतालों और दवाखानों की स्थिति में सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में किए गए किसी भी निवेश से पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उनके मालिकों को आर्थिक लाभ मुहैया करने में कई गुणा प्रभाव पड़ेगा। नए अस्पतालों और दवाखानों के लिए भवन स्थापित करने और मौजूदा अस्पतालों और दवाखानों को सुदृढ़ करने/उपकरणों से सज्जित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारत सरकार

ने 11वीं योजना के दौरान नए अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना करने, मौजूदा अस्पतालों और दवाखानों को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है। इस घटक का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 बंटवारे के आधार पर किया जा रहा है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहायता का पैटर्न 90:10 है। अनुमोदित मानदंडों के अनुसार यह कार्यक्रम 12वीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का पशुपालन विभाग/पशुचिकित्सा विभाग इस योजना को क्रियान्वित करेगा। तथापि, 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित मूल लागत पर पशुचिकित्सा अस्पतालों और दवाखानों के लिए नए भवनों के निर्माण पर 25 प्रतिशत की दर से लागत में वृद्धि मानते हुए 12वीं योजना के दौरान निर्माण की लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। उपकरणों की लागत में परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। अतः पशुचिकित्सा अस्पतालों और दवाखानों के लिए नए भवनों के निर्माण/नए अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना करने की लागत के लिए संशोधित मानदंडों पर 'मोबाइल पशुचिकित्सा क्लीनिकों (एम वी सी)' के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रस्तावित नए कार्यकलाप के साथ विचार किया जाएगा बशर्ते इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन दे दिया जाता है।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। **2013-14 के लिए 82.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

ज) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

ब्रूसेलोसिस पशुधन में होने वाला प्रजनन संबंधी आर्थिक दृष्टि से एक प्रमुख रोग है जो जुनोटिक प्रकार का होता है। बोवाइन ब्रूसेलोसिस देश के लगभग सभी राज्यों में है। सभी पात्र मादा ब्यानों को एक ही बार टीका लगाकर काफी अधिक समय तक इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। 12वीं योजना में ब्रूसेलोसिस – सी पी में सभी राज्यों में 6-8 मास के बीच की आयु वाले मादा ब्यानों को टीका लगाने की परिकल्पना की गई है। 12वीं योजना के दौरान सभी वयस्क मादा बोवाइनों, जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है, को चरणबद्ध रूप में कवर करने के लिए भी वयस्क टीकाकरण आरंभ किया जाएगा बशर्ते कि टीके उपलब्ध हों। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इस घटक का नाम बदल कर 'ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (ब्रूसेलोसिस –सीपी)' रखने का भी प्रस्ताव है।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। **2013-14 के लिए 12.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।**

झ) क्लासीकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (नया घटक)

क्लासीकल स्वाइन ज्वर (जिसे आम तौर पर स्वाइन ज्वर या हॉग कॉलरा कहा जाता है) सूअरों में विनाशकारी वाइरल रोग है। यह रोग अत्यधिक संक्रामक है। भारत में, यह अत्यधिक आर्थिक महत्व वाला रोग माना जाता है और मृत्यु दर, संवृद्धि में बाधक, प्रभावित सूअरों की जनन समस्याओं और अप्रत्यक्ष रूप से सूअर के गोश्त और उसके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण हानियां होती हैं। संक्रमित गर्भाधान से स्थायी रूप से संक्रमित सूअर पैदा हो सकते हैं। तीव्र संक्रमणों में रुग्णता और मृत्यु दर 90 प्रतिशत तक हो सकती है। अधिकांश मामलों में स्थायी संक्रमण घातक भी होते हैं।

वर्तमान में, इस रोग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण करने के लिए ए एस सी ए डी के अधीन 75:25 आधार पर धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार ए एस सी ए डी के अधीन अपेक्षित टीके खरीद रहे हैं। तथापि, इस रोग, जिससे सूअर उद्योग और छोटे किसानों को अत्यधिक हानि होती है, के महत्व को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में ऊतक संवर्द्धन टीके की उपलब्धता के आधार पर क्लीसीकल स्वाइन ज्वर के नियंत्रण के लिए एक पूर्णरूपेण नियंत्रण कार्यक्रम होना चाहिए, प्रस्ताव है कि 12वीं योजना के लिए ई एफ सी के अनुमोदन के बाद मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल एच एंड डी सी)' में एक नया घटक 'क्लीसीकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम (सी एस एफ – सी पी)' शामिल किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। **2013-14 के लिए 1.00 लाख रुपए के बजट परिव्यय (टोकन प्रावधान) का प्रस्ताव किया गया है।**

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के अधीन वार्षिक योजना 2013-14 के लिए 578.70 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

3. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम)

भारत में विश्व में 2.39 प्रतिशत भूमि क्षेत्र और विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ विश्व के कुल पशुधन संसाधनों का लगभग 10.7 प्रतिशत हिस्सा है। भारत में 18वीं पशुधना संगणना के अनुसार, इस समय 648.83 मिलियन कुक्कुट के अतिरिक्त 529.69 मिलियन पशुधन है। यद्यपि भारत पशुधन उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है, तथापि, इसकी पशुधन की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूमि पर दबाव की दृष्टि में आहार और चारे की उपलबधता चिंता का विषय है।

यह महसूस किया गया है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी से बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजिज, किसानों की पशुओं में उत्पादकता में भागीदारी किसानों की आय में मूलतः वृद्धि की जा सकती है, जैसाकि डेयरी और वाणिज्यिक कुक्कुट के मामले में हुआ है। तथापि, पशुधन की अन्य प्रजातियों के संबंध में संकल्पना को अभी मूर्त रूप दिया जाना है। अतः पशुधन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेजिज की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए छोटी योजनाओं का विलय करके एक बड़ी योजना का होना आवश्यक है।

पशुधन क्षेत्र से संबंधित अत्यधिक योजनाओं (बोवाइन प्रजनन, डेयरी और पशुधन स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को छोड़कर) का होना इस क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि इससे राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रभावकारी वित्तपोषण तक पहुंच की क्षमता सीमित हो जाती है। पशुधन के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रस्ताव है कि पशुधन क्षेत्र के सतत विकास और संवृद्धि करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के रूप में इन योजनाओं का विलय कर दिया जाए।

पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मुख्य आदान आहार और चारा है जिस पर पशुधन उत्पादन की लागत की लगभग 70 प्रतिशत लागत आती है। पशुधन उत्पादन और जोखिम प्रबंधन के साथ सम्बद्ध पौष्णिक आदान की बाधाओं का साकल्यवादी समाधान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का होना आवश्यक है।

पशुधन और कुक्कुट की 135 नस्लें (गोपशु-34, भैंस-12, भेड़-39, बकरी-21, घोड़ा/टट्टू-6, ऊंट-8, कुक्कुट-15) पंजीकृत हैं और अभी काफी आनुवंशिक संसाधनों की अभिलक्षणा और सूची तैयार की जानी है। इस विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझी जानी चाहिए। स्थानीय जलवायु स्थितियों के अनुकूल जन्मजात नस्लें तेयार की जा सकती हैं, और यह कम आदान की उत्पादन प्रणाली के तहत किया जा सकता है और उच्च ताप, कम पोषण और रोग जैसी दबाव वाली स्थितियों में इनकी उत्तरजीविता हो सकती है। अधिक उत्पादन देने वाली अन्य स्थानिक नस्लों और उनकी संकर नस्लों की तुलना में देशी नस्लें जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। राज्यों में नस्लों के संरक्षण को कम प्राथमिकता दी जाती है। पशु आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए संवैधानिक, सांविधिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं। 'कार्य का आबंटन नियम' से विभाग के लिए नस्लों का संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है।

जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और सूअरों के पालन में अपेक्षाकृत कम निवेश और कम सघन अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और शीघ्र लाभ मिलता है जो कम संसाधन वाले गरीब व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इन प्रजातियों से खाद के अलावा मांस, दूध, फाइबर और चमड़े का उत्पादन होता है। मांस की मांग बढ़ रही है जिससे मांस के मूल्य बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है। जुगाली करने वाले बड़े पशुओं की तुलना में जुगाली करने वाले छोटे पशुओं में जलवायु परिवर्तन की सह्यता अधिक होती है और योजनाबद्ध तरीके से इनका विकास किया जाना चाहिए।

पशुधन से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित 14 योजनाओं को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत् विलय करने का प्रस्ताव किया जाता है:-

1. केन्द्रीय चारा विकास संगठन
2. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
3. केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन
4. छोटे जुगाली करने वाले पशुओं तथा खरगोशों का समेकित विकास
5. कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष निधि
6. सूअर विकास
7. बछड़ों को बचाना तथा उनका पालन-पोषण करना
8. केन्द्रीय प्रायोजित आहार तथा चारा विकास योजना

9. संकटाधीन पशुधन प्रजातियों का संरक्षण
10. कुक्कुट विकास
11. मृत पशुओं का उपयोग
12. पशुधन बीमा
13. सचल वध संयंत्रों सहित ग्रामीण वधशालाओं की स्थापना/ आधूनिकीकरण
14. पशुधन विस्तार तथा सुपुर्दगी सेवाएं

छोटी स्कीमों को राष्ट्रीय मिशन में शामिल करने का एक फायदा यह है कि इससे आरकेवीवाई के लिए अपनाए गए पैटर्न में विभिन्न परियोजना पुन: तैयार करने तथा पहले करने और उन्हें क्रियान्वित करके पशुधन सेक्टर के विकास में तेजी लाने के लिए अपेक्षित हस्तक्षेपों की प्राथमिकता तय करने में राज्यों को और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित उप मिशन होंगे:

1. पशुधन विकास पर उप-मिशन
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास पर उप-मिशन
3. चारा और आहार विकास पर उप-मिशन
4. दक्षता विकास, प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण और विस्तार पर उप-मिशन

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन सेक्टर के विकास के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य नवाचारी पहल, जिस के लिए किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत कोई निधि उपलब्ध न हो, पर भी विचार किया जा सकता है। इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों तथा संगठनों के प्रयासों को विभिन्न वर्तमान स्कीमों जैसे एमजीएनआरईजीए तथा आरकेवीवाई इत्यादि के माध्यम से सह क्रियात्मक बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

वार्षिक योजना 2013-14 के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय 532.50 करोड़ रूपये है। इसके अलावा, अन्य संगत स्कीमों जैसे आरकेवीवाई, एमजीएनआरईजीए, इत्यादि की निधियों को भी शामिल किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

इस केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के निम्नलिखित चार घटक संचालित हो रहे हैं।

- **आदर्श मछुआरा गांवों का विकास**

इस घटक का उद्देश्य मछुआरों को आवास, पेयजल और सामुदायिक हॉल का निर्माण जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एक मछुआरा गांव में कम-से-कम 10 घर होने चाहिएं। इस योजना के तहत एक घर के लिए यूनिट लागत 50,000/-रूपए, ट्यूबवेल के लिए 30,000/-रूपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 35,000/-रूपए) तथा सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 1,75,000/-रूपए हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 आधार पर इस सहायता की हिस्सेदारी की जाती है। संघ-राज्य क्षेत्रों के मामलेमें यह व्यय पूरा का पूरा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

- **सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना**

इस घटक का उद्देश्य मछुआरों को मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता के लिए 1,00,000/-रूपए तथा आंशिक स्थायी अपंगता के लिए 50,000/-रूपए का बीमा कवर प्रदान करना है। बीमा प्रीमियम की अधिकतम सीमा 30 रूपए प्रति व्यक्ति है। वार्षिक प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि अनुदान सहायता के रूप में केंद्र द्वारा तथा बाकी 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। संघ-राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रीमियम की शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसमें भाग लेने वाले सभी राज्यों/संघ- राज्य क्षेत्रों के संबंध में फिशकापफेड के द्वारा एक एकल पालिसी शुरू की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, विकास की लागत केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 75:25 आधार पर साझा की जाएगी।

'बारहवीं योजना में मछुआरों के घरों तथा सामुदायिक भवन के लिए बीमा' नामक एक नया घटक प्रस्तावित किया गया है। सरकारी अंशदान की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के मामले में पूरी लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के तहत निर्मित मछुआरों के घरों तथा सामुदायिक भवनों का आग, बाढ, तूफान, बिजली गिरने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए कम से कम उनकी निर्माण लागतके बराबर मूल्य के लिए बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की लागत

की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्यों द्वारा उसी आधार पर की जाती है जिस आधार पर उनके निर्माण लागत की हिस्सेदारी की जाती है।

❖ बचत-सह-राहत योजना

इस घटक का उद्देश्य मछली पकड़ने की दृष्टि से खराब मौसम में मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत, मछली की कमी न होने वाले महीनों (नान-लीन) के दौरान लाभार्थी मछुआरे अपने उपार्जन के एक हिस्से का अंशदान करते हैं। मछुआरे 9महीनों की अवधि में 600/-रूपए का अंशदान करते हैं जबकि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इतनी ही धनराशि का अंशदान करती हैं। अतः, 1800/-रूपए की कुल राशि कमी की अवधि वाले 3 महीनों के दौरान 600/-रूपए की समान किस्तों में मछुआरों को वापिस कर दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार के अंशदान को केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 75:25 आधार पर बांटा जाता है। संघ-राज्य क्षेत्रों के मामले में, बराबर की संपूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संगठनों के मामलेमें 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ चलाई जा रही है।

❖ मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है, जिससे उन्हें मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता दी जा सके। यह योजना मछुआरों को उनकी योग्यता में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस योजना में राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापन/उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 1999-2000 से यह योजना राज्यों के मामले में 80 प्रतिशत केंद्रीय सहायता तथा संघ-राज्य क्षेत्रों तथा अन्य संगठनों के मामले में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ चलाई जा रही है। मात्स्यिकी क्षेत्र में पणधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार तथा एनएफडीबी फिशकाफेड को निधियां भी प्रदान करते हैं।

वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए बजट परिव्यय की प्रस्तावित राशि 70.00 करोड़ रूपए है।

5. केरल के इदुक्की जिले में कृषि संबंधी संकट को दूर करने से संबंधित विशेष पैकेज

भारत सरकार ने 20/11/2008 को पुर्नवास पैकेज के भाग के रूप में केरल राज्य के इदुक्की जिले में कृषि संबंधी संकट को दूर करने से संबंधित पुर्नवास पैकेज अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार इदुक्की पैकेज का कुल परिव्यय 91.15 करोड़ रूपए है तथा इसकी क्रियान्वयन अवधि 30.11.2013 तक है। उपर्युक्त पैकेज आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के आत्महत्या प्रवृत्त जिलों में पशुधन सेक्टर तथा मात्स्यिकी के विशेष पैकेज के साथ पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा था जो 30 सितम्बर, 2011 को पहले ही समाप्त हो चुका था।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के दौरान बजट परिव्यय 35.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

6. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

क) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन के तहत केन्द्रीय सेक्टर की एक स्कीम है। विभिन्न राज्यों द्वारा क्रियान्वित गोपशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रमों के लिए सांडों की कमी को पूरा करने के लिए बेहतर सांडोंका प्रजनन करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागोंमें 7 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म काम कर रहे हैं।

शुरू होने का वर्ष:

क्र.सं.	सीसीबीएफ का स्थान	स्थापना का वर्ष	रखी जा रही सांड माताओं की नस्ल
1.	अलमादी (तमिलनाडु)	1973	मुर्राह भैंस
2.	अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश)	1976	वर्ण संकर (हॉलस्टियन फ्रीसियन गोपशु x थारपरकर) और मुर्राह
3.	चिपलिमा (उड़ीसा)	1968	(1) रेड सिंधी (2) जर्सी x रेड सिंधी

4.	धामरोड (गुजरात)	1968	सूरती भैंस
5.	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	1976	हॉलस्टियन फ्रीसियन गोपशु
6.	सूनाबेड़ (उड़ीसा)	1972	जर्सी गोपशु
7.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	1967	थापरकर गोपशु

उद्देश्य:

क. वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर दुग्ध उत्पादन में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोपशु तथा भैंस नस्लों में प्रगामी आनुवंशिक उन्नयन।

ख. देश में राज्य गोपशु और भैंस प्रजनन कार्यक्रमों/परियोजनाओं में हिमित वीर्य खुराकों के उत्पादन और प्राकृतिक सेवाओं में इस्तेमाल के लिए उत्कृष्ट नस्ल के सांडों का प्रजनन और दूसरी जगहों पर भेजा जाना।

ग. पशुयूथ से बेहतर मादाओं की पहचान और बेहतर जर्मप्लाज्म के तेजी से विविधीकरण के लिए भ्रूण अंतरण के लिए दाता के रूप में उनका इस्तेमाल।

सभी केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों की स्थापना पिछले 30-40 वर्षों के दौरान हुई थी। मौजूदा अवसंरचना (आवासीय और गैर-आवासीय भवन) बहुत पुरानी है और वह क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इसमें बहुत अधिक मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। जैव-सुरक्षा बनाए रखने और फार्मों से चारा,फसलों आदि की चोरी को रोकने के लिए चारदीवारी बनाने जैसे नए निर्माण करने भी तत्काल अपेक्षित हैं। अपेक्षित अवसंरचनात्मक विकास, जो अत्यन्त आवश्यक है तथा जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2013-14 के दौरान किए जाने की आवश्यकता है, को देखते हुए गोपशु प्रजनन फार्म, पूंजीशीर्ष के तहत 3.50 करोड़ रूपए का प्रस्ताव कर सकते है।

इन फार्मों में मानव शक्ति की भी भारी कमी है और इसलिए वे उन चारा फसलों तथा अन्य बहुमूल्य फसलों को उगाने के लिए उपलब्ध फार्म भूमि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिनसे फार्म का राजस्व बढ़ सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन और कृषि से संबंधित फार्म संबंधी दैनिक कार्यों को करने के लिए उपलब्ध

नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनरी के साथ इन सभी फार्मों का तत्काल आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों में यह भी देखा गया है कि देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वांछित नस्लों से मेल न खाने और उनकी कम आनुवंशिक क्षमता के कारण कुछ सांड बछड़ों को हटाया नहीं जाता है। इस संबंध में यह समझा जाता है कि कुछ आनुवंशिक रूप से खराब सांड माताओं को बेहतर सांड माताओं से बदलने की जरूरत है और कुछ सबसे कम वांछित गोपशु नस्लों को कुछ बेहतर नस्लों से बदलने की जरूरतहै जिनकी देश के अधिकांश राज्यों से मांग रहती है।

(ख) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रिशक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, बंगलौर

हैस्सरघट्टा, कर्नाटक में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्णसंकर गोपशु और मुर्राह भैंसों के हिमित वीर्य का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और स्वदेशी रूप से निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए केन्द्र के रूप में काम करता है।

केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान की 8.9.2011 को सम्पन्न कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में कई नई पहलें करने का प्रस्ताव है। ये हैं:-

- केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान के निष्पादन में सुधार।
- भ्रूणअंतरण गतिविधि को दुबारा शुरू करना।
- केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण।
- केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान के लिए पीटीएस कार्यक्रम।
- वीर्य वितरण कार्यशाला।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग।

12वीं योजना के दौरान 2013-14 के लिए भी इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय 2.65 करोड़ रूपये है।

(ग) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

यह विभाग राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए एक केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना क्रियान्वित कर रहा है तथा अच्छी नस्ल की गायों और बछड़ों के पालन को प्रोत्साहन दे रहा है। राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वदेशी जर्मप्लाज्म को जुटाने में यह योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं:

- बेहतर जर्म प्लाज्म की पहचान और उसका पता लगाना
- बेहतर जर्म प्लाज्म के उत्पादन के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल करना।
- स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण।
- डेयरी फार्मिंग में सुधार लाने के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग।

विकासीय कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने के लिए बेहतर डेयरी गायों तथा भैंसों और सांडों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता की संतति की खरीद में राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों, निजी क्षेत्र तथा सरकारी उपक्रमों को सहायता देने में इस योजना की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

फेनोटाइपिक नस्ल विशेषताओं तथा दूध के उत्पादन स्तर की पुष्टि के लिए गोपशुओं की गिर, कंकरेज, हरियाणा, ओंगले और भैंसों की मुर्राह, जाफराबादी, सुरती और मेहसानी स्वदेशी नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए चार केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना यूनिटों, अर्थात रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और ओंगले के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में कुल 92 दुग्ध रिकार्डिंग केन्द्र काम कर रहे हैं। उनके प्रजनन ट्रैक्टों में इनकी पहचान की गई है और पंजीकृत गायों तथा भैंसों और उनके बछड़ों के विपणन के लिए प्रचार किया जाता है।

केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है और 5.7.2011 को हुई केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नई पहले की गई हैं। ये इस प्रकार हैं

- केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना में कम्प्यूटराइज्ड डाटाबेस तंत्र का कार्यान्वयन

- केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना एककों के नए क्षेत्रों की पहचान और उनका विस्तार।
- पीटीपी कार्य करने के लिए एसआईए के साथ सहयोग।
- वर्तमान दुग्धरिकार्डिंग स्टाफ का प्रशिक्षण।
- प्रजनक एसोसिएशन/सोसायटी बनाना
- केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना में विशिष्ट पहचान आईडी प्रणाली का विकास

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 6.50 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

7. पशु स्वास्थ्य निदेशालय

इस योजना के अंतर्गत तीन घटक कार्य कर हैं, नामतः

i. पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवाएं
ii. केंद्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला
iii. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र

i. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके पशुधन एवं पशुधन उत्पादों, जिनका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्यात स्वास्थ्य प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना है।

देश में पशुधन आयात अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय प्रशासित योजना है। नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र, जिसमें एक छोटी प्रयोगशाला शामिल है अपने परिसरोंमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इस सेवा को हैदराबाद तथा बंगलौर में दो अतिरिक्त पशु संगरोध केंद्रों की स्थापना द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। हैदराबाद तथा बंगलौर हवाई अड्डों से कुक्कुट, पालतू पशुओं, पशुओं, प्रयोगशाला जानवरों तथा पशुधन उत्पादों के मूल स्टॉक (जीपी) का आयात पहले ही प्रारंभ हो चुका है।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए 10.00 करोड़ रूपए का बजट परिव्यय प्रस्तावित है।

ii. केंद्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

यह 100 प्रतिशत केंद्रीय निधियन वाली केंद्रीय सेक्टर की योजना है। वर्तमान में बंगलौर, गुवाहाटी, इज्जतनगर, जालंधर, कोलकाता, पुणे में स्थित एक केंद्रीय तथा पांच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं पूरी तरह से कार्य कर रही है। क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं क्षेत्रीय आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विशेषज्ञ रोग जांच प्रदान करती है। केंद्रीय प्रयोगशाला क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की तकनीकी कार्यान्वयन को समन्वित करती है। सीडीडीएल/आरडीडीएल के मुख्य उद्देश्य हैं:

- एक विशिष्ट केंद्र के रूप में कार्य करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और बाद में पड़ोसी देशों को भी रेफरल नैदानिक सेवाएं प्रदान करना।
- पशुधन की नई बीमारियों, मुख्यतः गोपशुओं में संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकेइटिस, ब्लू टंग, पेस्ट डे पेटिटिस रूमिनेट्स (पीपीआर), भेड़ तथा बकरी में भेड़ चेचक इत्यादि, सूअरों में स्वाइन बुखार, ग्लैन्डर, घोड़ों में रिनोन्यूमोनाइटिस, कुत्तों में केनाइन पखोवाइरस, कुक्कुटों में एवियन एन्सिफिलाइटिस, एवियन संक्रकामक लेरिगोट्रेकिटिस इत्यादि की समस्याओं का अध्ययन ।
- देश में रोग जांच अधिकारियों तथा क्षेत्रीय पशुचिकित्सकों को प्रयोगशालाओं तथा क्षेत्र दोनों में आधुनिक नैदानिक पद्धतियों का प्रदर्शन।
- संक्रामक पशुधन रोगों के अंतर-राज्यीय अंतरण की समस्याओं का अध्ययन करना और उपचारी कदम सुझाना।

12वीं योजना में, वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं की सभी *7* प्रयोगशालाएं, बीएसएल-3, बीएसएल-2 और एनपीआरई-इलीसा के साथ जीएलपी मानकों का अनुपालन कर सकें और आईएसओ प्रमाणीकरण सहित प्रत्यायन प्राप्त कर सकें।

इस कार्यक्रम को 12वीं योजना 2013-14 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 7.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

iii. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र

टीकों तथा जैविकियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- देश में पशुचिकित्सा टीकों, जैविकियों, दवाओं, नैदानिकियों तथा पशु स्वास्थ्य से संबंधित अन्य उत्पादों के निर्माताओं के लिए लाइसेंस की सिफारिश करना।
- जैविकीय आमापनों में संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मानक मिश्रणों की स्थापना करना।
- स्वदेशी रूप से उत्पादित तथा आयातित दोनों प्रकार की पशुचिकित्सा जैविकियों के गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करना।

इस स्कीम को 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान जारी रखनेका प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 6.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

8. खाद्य सुरक्षा और पहचान

खाद्य सुरक्षा को अब जन स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। इसे उत्पादन से लेकर खपत तक के प्रत्येक स्तर पर वैश्विक दृष्टिकोग की आवश्यकता है जिसे 'गोशाला से मेज तक और खेत से प्लेट तक' की अभिव्यक्तियों द्वारा कितने सटीक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। अत: प्राथमिक उत्पादन चरण पर पशु मूल के खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए उन सभी उपायों को करना आवश्यक है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संदूषण पशु उत्पादों में न जाने पाएं, अथवा, यदि पहुंच भी जाएं तो उनका स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा विशेषतया अधिकतक अपशिष्ट सीमा, और सूक्ष्मजैविकीय से अधिक न हो। प्राथमिक उत्पादकों अर्थात् किसानों तथा प्रजनकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है तथा खेतों में पशुओं

के प्रयोग से पहले पशु-स्वास्थ्य, पशुओं को आहार खिलाना, पानी पिलाना, अन्य प्रबंधन प्रक्रियाएं, रिकार्ड रखने तथा उसका पता लगाने के सामान्य उपायों को शामिल करते हुए दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त करने के लिए 11वीं योजना के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा तथा उसकी पहचान नामक एक योजना शुरू की गई थी।

देश के लिए सम्पूर्ण रूप से यह एक नया क्षेत्र है जिसके लिए न ही अपेक्षित विशेषज्ञता और न ही अनुभव उपलब्ध है। इस विभाग ने देश में पशुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने संबंधी तंत्र के लिए एक कार्यनीति तैयार करने के लिए एफएओ के साथ एक तकनीकी समन्वय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह तकनीकी समन्वय कार्यक्रम अनुमोदित है और इसके अंतर्गत एफएओ भारत में पशुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए एक कार्यनीति और एक कार्य योजना का मसाग्दा तैयार करेगा। एफएओने अपनी सिफारिशें अक्तूबर, 2012 में दे दी थी लेकिन उसमें इस स्कीम को प्रयोगिक चरण में भी तत्काल कार्यान्वित करने संबंधी कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिए गए। एफएओ से अनुरोध किया गया है कि इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट कार्य योजना/कार्यनीति/रास्ता दिखाए। प्रायोगिक परियोजना के रूप में यह स्कीम टीसीपी के टीओआर के अनुसार एफएओ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तैयार की जाएगी और एक या दो राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी।

इस स्कीम को 12वीं योजना के 2013-14 के दौरान जारी रखनेद का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 5.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

9. पशुधन संगणना

पशुधन संगणना फार्म पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियोंके संबंध में अलग-अलग सूचना उपलब्ध कराती है। संगणना अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है और इसमें ग्रामीण/शहरी ब्यौरे के साथ जिलावार सूचना दी जाती है। पशुधन संगणना का इस्तेमाल विभिन्न पशुधन उत्पादों के उत्पादन अनुमानों के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए नमूना गांवों के चयन के लिए नमूने के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय अथव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र के महत्व को देखते हुए और घरेलू पशु के प्रजनन और जीवन की लघु अवधि को देखते हुए पहली संगणना 1919-1920 के दौरान की गई थी और तब से भारत के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पांच वर्षों में एक बार यह संगणना कर

रहे हैं। अभी तक, 18 ऐसी संगणनाएं की जा चुकी हैं। पिछली संगणना 15/10/2007 की संदर्भ तिथि के साथ 2007 में आयोजित की गई थी।

सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पशुधन संगणना करते हैं। पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित तकनीकी सलाहकार समिति उन अनुदेशों, प्रक्रियाओं और मदों को अंतिम रूप देती है जिसके लिए सूचना एकत्र की जानी है, रिपोर्टों के लिए सारणी योजना प्रस्तुत की जानी है इत्यादि। राज्य पशुपालन विभाग नोडल अधिकारी के रूप में पशुपालन विभागोंके निदेशकों के साथ मिलकर संगणना के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय सरकार राज्यों के कार्य को समन्वित करती है और संगणना आंकड़ों के एकत्रीकरण और उनके प्रसंस्करण में एकरूपता सुनिश्चित करनेके लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।

पशुधन संगणना के अंतर्गत राज्यों को संगणना के प्रमुख घटकों जैसे समय-सारणी तथा प्रशिक्षण मैनुअल का मुद्रण, प्रशिक्षण गणना, पर्यवेक्षण, संगणना के परिणामों को तालिकाबद्ध करनेकेलिए आकस्मिकता तथा सहायता के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

18वीं पशुधन संगणना से पहले, संगणना नतीजे जिला स्तरीय डिजिटलीकृत कुल से प्राप्त किए जाते थे। 18वीं पशुधन संगणना में पहली बार, डिजीटलीकृत ग्राम स्तर तथा गृह स्तरीय आंकड़े प्राप्त किए गए।

19वीं पशुधन संगणना, 2012

18वीं पशुधन संगणना में पहली बार नस्लवार आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यह सुझाया है कि संगणना में बड़ी संख्या के मदों से संबंधित सूचना के एकत्रीकरण से कभी कभी अप्रबंधनीय नॉन सेम्पलिंग गलतियां हो जाती हैं जैसाकि 18वीं पशुधन संगणना में हुआ था। अतः संगणना को मोटे तौर पर आंकड़े देने के लिए नियोजित करना चाहिए और नमूना सर्वेक्षणों को ब्यौरे देने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। एनएसएल द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए 19वीं संगणना के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी जिलों और उप-जिलों को कवर करने वाले 15 प्रतिशत नमूना गांवों में पूर्ण गणना द्वारा नस्लवार संख्या का आकलन किया जाए। विलम्ब से बचने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि 19वीं

संगणना के नतीजे केवल ग्राम स्तरीय डिजिटीकृत आंकड़ों से प्राप्त किए जाएं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19वीं पशुधन गणना के हाऊस लिस्टिंग आपरेशन सहित घरों की वास्तविक गणना पूरी कर ली गई है। एकत्रित आंकड़ों की संबंधित राज्यों द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संवीक्षित सूची जनवरी, 2013 तक उपलब्ध होगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2012-13 के दौरान किए गए आंकडा एकत्रीकरण के लिए मानदेय वितरित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वचनबद्ध देयताओंके लिए 155.44 करोड़ रूपये अपेक्षित हैं। इसमें से 41.18 करोड़ रूपये एनआईसी को सॉफ्टवेयर विकास, रिपोर्ट लिखने इत्यादि से संबंधित कार्य के लिए दिए गए। विभाग 2013-14 के दौरान 15 प्रतिशत नमूना गांवों में नस्लवार संगणना आयोजित करेगा।

12वीं योजना के लिए 2013-14 के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 155.42 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

10. समेकित नमूना सर्वेक्षण

मुख्य पशुधन उत्पादों जैसे, दूध, अण्डा, मीट और ऊन के उत्पादन को केंद्रीय प्रायोजित योजना “समेकित नमूना सर्वेक्षण” के अंतर्गत आयोजित वार्षिक नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर आकलित किया जाता है। इस योजना को राज्य पशु पालन विभागों के माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पात्र पदों के लिए वेतन हेतु क्रमश: 50 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। (i) पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित दर टीए/डीए देने के लिए (ii) पशुधन सेक्टर में प्रक्रियाओं के अध्ययन तथा विकास के लिए (iii) सूचना प्रौद्योगिकी उपायों तथा (iv) आईएसएस प्रक्रियाओं संबंधी रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

यह अकेली ऐसी योजना है जिसके द्वारा पशुधन सेक्टर में नीति तैयार करने के लिए पर्याप्त आंकड़े सृजित किए जा रहे हैं। इस तरह सृजित आंकड़े न केवल सरकारी एजेंसियों के लिए लाभप्रद है बल्कि अन्य संस्थानों, अनुसंधानों तथा संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए भी लाभप्रद हैं। 2013-14 में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए निधियां अपेक्षित हैं:

- वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों द्वारा प्रमुख पशुधन उत्पादों संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण।
- वर्ष 2012-13 के लिए प्रमुख पशुधन उत्पादों के अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाना।
- मूल पशुपालन आंकड़े 2014 का प्रकाशन, जिसमें देश भर में किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर गणना किए गए प्रमुख पशुधन उत्पादों के अनुमान हैं।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान, इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 27.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

11. **डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस):** डेयरी/कुक्कुट वेन्चर पूंजीगत निधि 25.00 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ दिसम्बर, 2004 में प्रारंभ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 से इस योजना के दो भाग किए गए हैं नामत: डेयरी वेन्चर पूंजी निधि। साथ ही, डेयरी वेन्चर पूंजी निधि योजना को आशोधित करके उसका नया नाम डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) रखा गया है जिसे 1 सितम्बर, 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य हैं:

- ➢ स्वच्छ दूध के उत्पादन हेतु आधनिक डेयरी फार्मों की स्थापना
- ➢ अच्छे प्रजननन स्टॉक के संरक्षण तथा विकास के लिए हीफर बछड़ों के पालन को प्रोत्साहन देना।
- ➢ असंगठित सेक्टर में ढांचागत परिवर्तन लाना ताकि प्रारंभिक दुग्ध प्रसंस्करण ग्राम स्तर पर शुरू किया जा सके।
- ➢ वाणिज्यिक आधार पर दूध के रख-रखाव के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन
- ➢ मुख्यत: असंगठित डेयरी सेक्टर में स्व-रोजगार का सृजन और अवसंरचना प्रदान करना

सहायता पैटर्न

- ❖ उद्यमियों का अशंदान (मार्जिन)- परिव्यय का 10 प्रतिशत (न्यूनतम)
- ❖ बैंक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी- परिव्यय का 25 प्रतिशत- सामान्य वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33 प्रतिशत)

- प्रभावी बैंक ऋण- संतुलन भाग/परिव्यय का न्यूनतम 40 प्रतिशत
- भारत सरकार अपनी घटकवार अधिकतम सीमा की शर्त पर सामान्य श्रेणी को 25 प्रतिशत बैंक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 33.33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी जिसे बैंक ऋण अदायगी की अंतिम कुछ किश्तों में समायोजित किया जाएगा।

इस सोजना को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कार्यान्व्ति किया जा रहा है, जो इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है।

इस योजना को लाभार्थियों के लिए आकर्षक बनाने के लिए 12वीं योजना में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं:-
12वीं योजना के दौरान डीईडीएस के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने हेतु प्रस्तावित मुख्य परिवर्तन है:

क) इस योजना के अंतर्गत घटकों की वित्तीय सीमा में वृद्धि।
ख) इस योजना के विभिन्न घटकों के लिए दी गई सब्सिडी की सीमा को यूनिट लागत की कोई सीमा नियत किए बिना निर्धारित किया गया है।
ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लाभार्थी (औसत समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र) तथा महिला लाभार्थी 33.33 प्रतिशत की दर से उच्च सब्सिडी के पात्र होंगे।
घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन वस्तुनिष्ठ मापदंड आधारित।

12वीं योजना में 2013-14 के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 600.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

12. राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी)

सरकार ने 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) चरण-I के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन दे दिया है। इस योजना के लिए विश्व बैंक 350 मिलियन अमरीकी डालर (1584 करोड़ रूपये) के आईडीए क्रेडिट देगा।

यह योजना दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, दूध उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की संगठित दुग्ध प्रसंस्करण सेक्टर तक और अधिक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय डेयरी योजना 14 प्रमुख राज्यों में क्रियान्वित की जानी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा केरल।

राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) चरण-। ग्याहरवीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) से कार्यान्वित की जा रही है और यह 12वीं योजनावधि (2011-2017) के पूरा होने तक जारी रहेगी। एनडीपी-। के उद्देश्य हैं:

क) दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना ताकि दूध की बढ़ती मांग को पूरा करनेके लिए दूध उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
ख) ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक और अधिक पहुंच बनाई जा सके।

12वीं योजना के 2013-14 में इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 260.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

13. दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस)

दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना 1959 में दिल्ली के निवासियों को उचित कीमत पर पौष्टिक दूध उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादकों को अच्छी कीमत दिलवाने के उद्देश्य से हुई थी। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादों जैसे घी, मक्खन, योगर्ट, पनीर, छाछ और सुगंधित दूध आदि के उत्पादन तथा बिक्री को भी एक संबद्ध गतिविधि के रूप में किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना की संस्थापित प्रसंस्करण /पैकिंग क्षमता 2.55 लाख लिटर दूध प्रतिदिन थी। तथापि, शहर में दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस क्षमता को चरणों में बढ़ापकर 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर पर ले आया गया था।

डीएमएस के गतिविधियां पूर्णत: वाणिज्यिक प्रकृति की हैं। इसे वाणिज्यिक एकक की तरह चलाने और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, संघ के मंत्रिमंडल ने इसके निगमीकरण के प्रस्ताव को सिद्धांतत: अनुमोदित कर दिया है। विभाग ने डीएमएस के

निगमीकरण के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया है जिसमें नई कम्पनी दिल्ली दुग्ध योजना लिमिटेड (कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली) को भारत सरकार द्वारा 36.98 करोड़ रूपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इस राशि के दौरान इक्विटी अर्जित करने, पुराने संयंत्रों तथा मशीनरी को बदलने के िलए ऋण तथा वर्किंग टर्म पूंजीगत ऋण के लिए होगी जिसमें से 25 करोड़ रूपए की राशि वर्ष 2013-14 के दौरान अपेक्षित होगी। उपर्युक्त नोट पर सभी संबद्ध विभागों/एजेंसियों/संस्थाओं की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। इन टिप्पणियों को शामिल करके अंतिम नोट तैयार किया जा रहा है।

2013-14 के लिए बजट परिव्यय 25.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

14. मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

मात्स्यिकी सेक्टर के संवर्धन के लिए, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन मात्स्यिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान इस सेक्टर के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने, मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्रों इत्यादि की स्थापना सहित तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, मछली प्रसंस्करण तथा अन्य संगत गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करते हैं।

क) केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सीआईएफएनईटी), कोचीन

इसकी स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1963 में कोचीन में की गई थी। इस संस्थान की दो और यूनिटें चेन्नई तथा विशाखापट्टनम में स्थापित की गईं। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मत्स्यन जलयानों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रचालक तथा शोर स्थापनाओं के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, लघु आवधिक कार्यक्रम, 24 महीनों की अवधि के दो नियमित पाठ्यक्रम नामतः वेसल नेविगेटर पाठ्यक्रम (वीएनसी) तथा मेरिन फिटर पाठ्यक्रम (एमएफसी) भी 2006-07 से सीआईएफएनईटी द्वारा आयोजित किए गए। यह संस्थान बीआईएससी (नॉटिकल विज्ञान) पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहा है।

ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी), कोचीन

समेकित मात्स्यिकी परियोजना को राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी) का नया नाम दिया गया है। यह संस्थान मछली की गैर-पारंपरिक किस्मों के प्रसंस्करण, लोकप्रिय बनाने और जांच विपणन की परिकल्पना करता है। इस परियोजना में एक मत्स्यन नौका है, एक सुसज्जित समुद्री कार्यशाला है और 250 टन तक के यानों को स्लिप करने के लिए एक स्लिपवे, एक बर्फ-सह फ्रीजिंग संयंत्र तथा एक आधुनिक मछली-प्रसंस्करण यूनिट है। यह विभिन्न पाठ्यक्रमों संस्थागत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। कोची स्थित मुख्यालय के अलावा, इस परियोजना का एक केन्द्र विशाखापट्टनम में भी है।

सभी तरह के परिरक्षण द्वारा मछली को सभी किस्मों से प्रक्रिया तथा उत्पाद विविधिकरण के माध्यम से मूल्य संवर्धित उत्पाद विकास जैसे डिब्बाबंद उत्पाद, हिमित, बटरड तथा ब्रेडिड, सूखे तथा स्मोकड, रिर्टोटेबल पाउच पैकड उत्पाद, पिकल्ड उत्पाद आदि। अपने स्टालों, ग्रामीण क्षेत्रों में सचल विपणन यूनिटों, सम्पूर्ण भारत डीलरों तथा बाजार सर्वेक्षणों के माध्यम से कम कीमत के, अपारंपरिक तथा मौसमी बहुतायत वाली मछलियों सहित मछली की सभी किस्मों के मूल्य संवर्धित को लोकप्रिय बनाना और उनका जांच विपणन भी है। कौशल उन्नयन के लिए ग्रामीण तथा लैंगिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मछुआरा महिलाओं, मछुआरा समुदायों के स्व सहायता समूहों इत्यादि के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के ग्रामीण उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार।

ग) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसटी), मुम्बई

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मानीटरिंग संबंधी चल रही गतिविधियों में कांटीनेंटल शेल्फ और स्लोप में डिमरजल संसाधनों का सर्वेक्षण, भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में डीप-स्विमिंग ओशनिक टूना का सर्वेक्षण तथा मिड्-वाटर ट्रालिंग द्वारा तटवर्ती पेलोजिक संसाधनों का प्रारंभिक सर्वेक्षण शामिल है। कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण की कवरेज अपर्याप्त है और संसाधनों जो दोहन के विभिन्न स्तरों पर है, की नियमित आधार पर मानीटरिंग आवश्यक है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसटी) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय मुम्बई में है। एफएसआई के छह प्रचालनात्मक बेस हैं जो पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगांव, तथा कोच्चि, उतरी तट पर चेन्नई तथा विशाखापट्टनम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और मानीटरिंग के लिए कुल 13 महासागरीय ऑनगोइंग सर्वेक्षण यान तैनात किए गए हैं। चूंकि कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण कवरेज अपर्याप्त है और संसाधन, जो दोहन के विभिन्न स्तरों पर है, की नियमित आधार पर मानीटरिंग आवश्यक है, अतः चल रहे संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाओं को 12वीं योजना में भी जारी रखा जाएगा।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 80.21 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

15. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड,

मात्स्यिकी उप-क्षेत्र के विकास के लिए “राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड” (एनएफडीबी) की एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में वर्ष 2006 में समेकित तरीके से मात्स्यिकी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थापना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। एनएफडीबी एक केंद्रीय सेक्टर की योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां जैसे जलाशयों तथा टैंकों में सघन जलकृषि, जलाशयों में मत्स्यन विकास, तटवर्ती जलकृषि, मछली पालन, अवसंरचना का विकास, मत्स्यन बंदगाह तथा मछली उतारने के केन्द्र, फिशिंग ड्रेसिंग केंद्र, घरेलू विपणन, ट्राउट कल्चर तथा मछुआरों की क्षमता का निर्माण आदि शामिल हैं। एनएफडीबी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा ताकि इसमें मछली की बीमारियों के प्रबंधन तथा संबंधित अवसंरचना के विकास को भी शामिल किया जा सके जिसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभाव है। 12वीं योजना के दौरान, अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी पर विद्यमान सीएसएस (मछुआरों के कल्याण को छोड़कर) को एनएफडीबी में शामिल किया जाएगा ताकि विस्तृत गतिविधियों के समेकन द्वारा मात्स्यिकी विस्तार को सुकर बनाया जा सके। इस योजना को एनएफडीबी की छत्रछाया में कार्यान्वित किया जाएगा और किसी भी दोहरीकरण अथवा प्रयासों के ओवरलैप को हटाया जाएगा। डीएडीएफ अपने प्रयासों को मछुआरों के लिए नीति,

विनियमन तथा कल्याण पर केंद्रित करेगा और अंतर्देशीय तथा समुद्री मछुआरों के कल्याण से संबंधित योजना को कार्यान्वित करेगा।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के दौरान बजट परिव्यय के लिए 300.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।

16. मात्स्यिकी सेक्टर के लिए डाटाबेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत सरकार ने 'मात्स्यिकी सेक्टर के लिए डाटाबेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' की संशोधित योजना को अनुमोदित कर दिया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों जैसे तालाबों तथा टैंकों, झीलों तथा जलाशयों, नदियों लाइनों, एस्च्यूरियों इत्यादि तथा अंतर्देशीय सहित समुद्री मछली के कैचों के आकलन के लिए नमूना सर्वेक्षण द्वारा डाटा इकट्ठा करने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया अपनाकर अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों तथा मछली के कैच के लिए डाटाबेस में सुधार करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के मात्स्यिकी संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में सुधार करना ताकि डाटा एकत्रीकरण तथा उनके विश्लेषण का कार्य दक्षतापूर्वक तथा प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी की संगणना करवाना। यह योजना 12वीं योजना के दौरान भी मात्स्यिकी संबंधी डाटा इकट्ठा करने तथा मात्स्यिकी सेक्टर के लिए भौगोलिक सूचना इकट्ठा करने संबंधी एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना को वर्तमान में 10 विद्यमान घटकों के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। 12वीं योजना के दौरान एक नया घटक नामत: मानीटरिंग, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) प्रारंभ किया जा रहा है।

- मात्स्यिकी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) मात्स्यिकी प्रबंधन का एक मुख्य घटक है। इसे 12वीं योजना के दौरान विद्यमान डाटाबेस योजना में एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। इससे सरकार और मात्स्यिकी व्यवसायियों को मात्स्यिकी संसाधनों के स्वास्थ्य तथा स्थिति का सतत मूल्यांकन करने तथा

सह-क्रियात्मक प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी। एमसीएस मत्स्यन जलयानों तथा मछुआरों के व्यापक डाटाबेस सृजन द्वारा तटवर्ती सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जाने वाले उपायों का भी समर्थन करेगा।

12वीं योजना के 2013-14 के दौरान इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है। 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 6.50 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

17. सचिवालयीय तथा आर्थिक सेवाएं

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु 2013-14 के लिए बजट परिव्यय 7.00 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

III. नई योजनाएं

18. पशुचिकित्सा औषध नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना

पशुचिकित्सा औषध नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना हेतु वार्षिक योजना 2013-14 में 1 लाख रूपए का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है। यह योजना अभी तैयार की जा रही है।

19. पशुचिकित्सा कॉलेजों की अवसंरचना का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण

पशुचिकित्सा कॉलेजों की अवसंरचना के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए वार्षिक योजना 2013-14 में 1 लाख रूपए का टोकन प्रावधान प्रस्तावित है। यह योजना अभी तैयार की जा रही है।

वार्षिक योजना (2013-14)

प्रस्ताव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय

भारत सरकार

s